उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-49/2017/1905/37-1-2017-3(27)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 05 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 जितेन्द्रवीर सिंह, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, सिधौली के विरूद्व जनपद-शाहजहॉपुर में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण के प्रकरण में पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ऋण समायोजन के बाद की तिथि में निर्गत किये जाने आदि आरोपों के लिये कार्यालय आदेश संख्या-1562/37-1-2017-3(27)/2014, दिनांक 28.07.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है।

2- उक्त जांच के संचालनार्थ डा0 ए0एन0 सिंह निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव

संख्या-49/2017/1905**(1)/37-1-2017, तददिनांक,**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- डा0 ए0एन0 सिंह, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ/जांच अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि डा0 जितेन्द्रवीर सिंह, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, सिधौली के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-पत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध करायें तथा नियमानुसार जांच पूर्ण कर आख्या 01 माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in